20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश

III/निगरानी/गुना/भू.रा/2018/1129

प्रकरण.क्र. /2018

निगरानीकर्ता 1 दिमानसिंह उर्फ दीवानसिंह पुत्र श्री इमरतसिंह जाति जादौन निवासी ग्राम जामनेर तहसील राधोगढ जिला गुना म.प्र.

2. मानसिंह पुत्र कल्यानसिंह जादौन
3. कल्यानसिंह पुत्र हीरालाल जादौन
4. बटनबाई पत्नि मथुरालाल जादौन समस्त निवासीगण ग्राम जामनेर तहसील राधोगढ जिला गुना म.प्र.

श्री ... सिंह रघुवंशी द्वारा आज दि. 13-2-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-2-18 नियत। रीडर आफ कोर्ट 13-2-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

प्रतिनिगरानीगण

1. हरनाथसिंह पुत्र शंकरसिंह जादौन
2. सरनामसिंह पुत्र शंकरसिंह जादौन
3. किशनसिंह पुत्र शंकरसिंह जादौन
4. कस्तुरीबाई पुत्री शंकरसिंह जादौन
5. .राधाबाई पुत्री शंकरसिंह जादौन पत्नी मलिक सिंह जाति दांगी समस्त निवासीगण ग्राम जामनेर तहसील राधोगढ जिला गुना म.प्र.
6. अर्जुनसिंह पुत्र इमरतसिंह जादौन निवासी 3 इमली चौराहा इन्दौर म.प्र.
7. कमलाबाई पुत्री इमरत, पत्नि भवानी सिंह जादौन, निवासी नलखेडा तहसील मधुसूदनगढ जिला गुना म.प्र.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 493/2017–18/अपील में पारित आदेश दिनांक 06.02. 2018 न्यायालय आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर म.प्र.।

–2

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1 यहकि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि निगरानीकर्तागणों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग0/गुना/भू0रा0/2018/1129

दिमान सिंह उर्फ दीवान सिंह विरूद्ध हरनाथ सिंह

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16—03—18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह रघुबंशी उपस्थित। यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 493/2017—18 अपील में पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आबेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में अभिलेखों एवं न्यायसिद्धांतों की छाया प्रतियां प्रस्तुत कर तर्क प्रस्तुत किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को में बताया गया कि आवेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से वर्ष 1996 में अनावेदकगण के पूर्वजों से कय की गयी है, समर्थन में विकयपत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। यह भी बताया गया कि विकेता की मौत के लगभग 7 वर्ष बाद एवं भूमि के विकय पत्र संपादित होने के लगभग 19 वर्ष तथा बटबारा आदेश दिनांक 28.02.09 से 7 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गयी । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया कि विकेताओ द्वारा विकय की गयी भूमि एवं विकीत रकवे पर ही केताओं (आवेदकगणो) द्वारा नामांतरण कराया गया था तथा उतने रकवे पर ही बटवारा कराया गया है जब	

—3

अनावेदकगण के पूर्वज भूमि घारक द्वारा अपनी स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि विक्रय कर अपना हक विक्रीत भूमि पर से छोड दिया गया तब इतने लम्बे समय बाद अपील करने का कोई अधिकार अनावेदकों नहीं बचता है वहीं यह भी कहा गया कि बटवारे में भी अनावेदकगण को विक्रीत रकवा भी कम ही मिलेगा क्योंकि उनके पूर्वजों द्वारा भूमि आवेदकगणों को विक्रय की जा चुकी थी। यहां इस तथ्य की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किये जाने का प्रयास किया गया कि यदि अनावेदकगणों को कोई आपत्ति थी तो उन्हें पहले रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही करना चाहिए थी, जो नहीं की गयी। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में धारा 5 के आवेदन का निराकरण बिना कारण बताए अपील के गुण दोष पर निराकरण के बाद किया गया है, जबकि धारा 5 के आवेदन के निराकरण के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि पहले धारा 5 के आवेदन का सकारण निराकरण किया जाना चाहिए तत्पश्चात प्रकरण का निराकरण किया जाना चाहिए। अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इन नियमों का उल्लंधन किया गया है इसकी पुष्टि के संबंध में निम्न न्याय सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गये हैं–''लक्ष्मीबाई विरूद्ध गेंदाबाई, 1993 रा.नि. 4 रे. बोर्ड'' में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि ''पहले म्याद के प्रश्न को अपील में निपटाया जाना चाहिए उसके प्श्चात अपील ऑन मेरिट निपटाई जा सकती है''। इसी प्रकार

भानमती विरूद्ध कलुआ 1984 रा.नि. 34 पैरा 4 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि ''अवधिवाधित अपील में बिलम्ब क्षमा का आवेदन पहले बिना निर्णीत किए गुणागुण पर निर्णय नहीं किया जा सकता''। जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पहले अपील का निराकरण गुणागुण पर किया जाकर धारा 5 के आवेदन का निराकरण बिना कारण बताए किया जाकर आवेदन स्वीकार किया गया है, जो उचित न होकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कानून एवं न्यायसिद्धांतों का उल्लंधन किया गया है। समर्थन में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.12.17 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गयी है।

आवेदक गण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकरण में अपर आयुक्त ग्वालियर के आक्षेपित आदेश दिनांक 06. 02.2018 के संबंध में भी अपने तर्क के दौरान बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य करते हुए पंजीवद्ध किए जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करने के अदेश के साथ ही धारा 52 स्थगन आवेदन को बिना कारण बताए निरस्त कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है। इसकी पुष्टि के संबंध में निम्न न्यायसिद्धांतों पर बल दिया गया है 1—कन्हैयालाल चौरसिया विरूद्ध जियाजीराव कॉटन मिल्स (हाईकोर्ट) 1983 म.प्र.वी.नो. 119, बद्री प्रसार विरूद्ध सुधीर कुमार 1988 म.प्र.वी.नो. 101 में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि स्थगन आदेश देने से यदि इन्कार किया जाना है तो उसके कारण आदेश

में बताना होंगे। अपर आयुक्त द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में धारा 52 स्थगन आवेदन मात्र यह अंकित करते हुए निरस्त कर दिया गया कि "अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्ट्या ऐसा कोई तथ्य दृष्टिगोचर नही होता जिसके आधार पर उसे स्थगित किया जावे। इस प्रकार इस आक्षेपित आदेश के स्थगन संबंधी धारा 52 के आवेदन को निरस्त करने संबंधी भाग निरस्ती योग्य है, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर स्थगन का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही आवेदक अधिवक्ता द्वारा स्टेआर्डर के संबंध में भी न्यायसिद्धांतों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि जगन्नाथ प्रसाद विरूद्ध हरीदास शिवहरे 1996(1) वि.भा. 101 पैरा 3 (जस्टिस तेजशंकर) में यह उद्धरित किया गया है कि "यथा स्थिति बनाए रखने के लिए और अपील रिवीजन में उठाए गये बैध एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का निपटारा होने तक प्रश्नाधीन आदेश का कियान्वयन रोका जाना सामान्यतः न्यायोचित माना जाता है, क्योंकि स्टे आर्डर न दिए जाने पर अपील या रिवीजन प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध निष्फल हो जाता है इस कारण सामान्यतः स्टे आर्डर दिया जाना चाहिए या नामंजूरी के स्पष्ट आधार लिखे जाना चाहिए। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायसिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया गया है। स्थगन हेतु सुविधा संतुलन के संबंध में भी आवेदक गण के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि रजिस्टर्ड

विक्रय पत्र के माध्यम से 19 वर्ष पूर्व अनावेदकगण के पूर्वजों से खरीदी गयी थी तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण एवं बटवारा कराया गया है तथा क्रय दिनांक से ही कब्जे में भी है ऐसी स्थिति में सुविधा का सतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में ही है इस संबंध में भी आवेदक अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि ''मुन्ना विरूद्ध रामरतन 1989 रा.नि. 194 रे.बो. में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि ''जब स्थगन आदेश न देने का परिणाम यह हो कि आवेदक अपने लम्बे कब्जे से बंचित हो जावेगा तब स्थगन आदेश देना चाहिए, विवेक का न्यायिक प्रयोग न होने पर पुनरीक्षण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। स्थगन आदेश न देना उस समय न्याय विरूद्ध है जब अपील सुनवाई के लिए ग्रहण करने के पश्चात न्यायालय को यह प्रकट हो कि स्थगन आदेश न देने से आवेदक को वास्तविक हानि होगी इस संबंध में सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 5–3 के सिद्धांत संहिता की धारा 52 के साथ विचार में लिए जा सकते है। स्थगन आदेश के संबंध में यह भी ''बलबंत राय बनाम रूमल भील पद 4, कैलाश नारायण बोहरे 1989 आर.एन. 38 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि **हस्तक्षेप**– यदि स्थगन आदेश दिया जाना मनमाने ढंग से या स्वेच्छाचारिता पूर्वक अस्वीकार कर दिया गया हो और न्यायिक विवेक का प्रयोग न हुआ हो तो पुनरीक्षण न्यायालय ऐसे आदेश में हस्तक्षेप कर

सकता है"। इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित समस्त न्यायिक प्रकियाओं का उल्लंधन किया गया है जिसमें हस्तक्षेप करने की अधिकारित इस न्यायिक सर्वोच्च संस्था को है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करते हुए स्थगन आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायसिद्धांतों तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संदर्भ में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी मात्र अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आवेदन निरस्त करने संबंधी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत कर स्थगन की मांग की गयी है। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश (जो अपर आयुक्त के यहां प्रथम अपील में चुनौतीयुक्त है) में पहले अपील का गुणदोष पर निराकरण किया गया है तत्पश्चात उसी आदेश में बिना कारण बताए धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर निराकृत किया गया है जिसमें धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने के कोई कारण अंकित नहीं किए गये हैं जबकि अनुविभागीय अधिकारी को पहले धारा 5 समयविधान के आवेदन का सकारण निराकरण करना चाहिए था। अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में द्वितीय अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य करते हुए अनावेदकगण को बुलाए जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करने के आदेश दिए जाकर धारा

52 का आवेदन निरस्त कर दिया गया जिसमें निरस्त किए जाने का कोई कारण अभिलिखित नहीं किया गया। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तो वपरीत है ही साथ ही वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा समय–समय पर जारी न्यायिक सिद्धांतों के भी विपरीत है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं प्रकरण में उपस्थित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा जारी न्यायसिद्धांतों के अनुसरण में अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06.02.2018 के धारा 52 स्थगन आवेदन को निरस्त करने संबंधी आदेश के अंश भाग को स्थिर रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है वहीं अनुविभागीय अधिकारी के अपर आयुक्त के न्यायालय में चुनौतीयुक्त आदेश के कियान्वय को स्थगित करने में भी वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभाबना नहीं है क्योकि प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं अनावेदकों को सुने जाने हेतु नियत है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06.02.2018 के धारा 52 स्थगन आवेदन को निरस्त करने संबंधी आदेश के अंश भाग को निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालयीन आदेश दिनांक 27.12.2017 जो अपर आयुक्त के न्यायालय में आक्षेपित है, के कियान्वयन को तीन माह के लिए स्थगित किया जाता है तथा अपर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वे तीन माह में प्रकरण का गुणदोष

के आधार पर उभयेपक्ष को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में निराकरण करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य